न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्याः–95 / 2022(जीसीएमएस नम्बर 2022 / 369)

1. भगवान सहाय पुत्र श्री कालूराम जाति अहीर,
2. बिहारीलाल पुत्र दुर्गादान सिंह जाति चारण
3. रामचन्द सिंह पुत्र दुर्गादान सिंह जाति चारण
4. शिम्भू सिंह पुत्र दुर्गादान सिंह जाति चारण
5. सुरजन सिंह पुत्र दुर्गादान सिंह जाति चारण
6. रोहिताश पुत्र कल्लू जाति अहीर
7. हनुमान पुत्र कल्लू जाति अहीर
8. हंसराज पुत्र कमला पत्नि सुण्डाराम जाति जाट
9. राजेश कुमार पुत्र कमला पत्नि सुण्डाराम जाति जाट

निवासीयान ढाणी बुराकी तन साथलपुर तहसील बानसूर जिला अलवर।

–अपीलान्टस

बनाम

1. तहसीलदार, बहैसियत भू–धारक तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर दिनांक 13.07.2021

उपस्थितिः–

1. **श्री अनिल कुमार गुप्ता एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल एडवोकेट रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांक –17.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 13.07.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी के साथ दिनांक 05.12.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसीलदार बानसूर जिला अलवर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु राजस्व ग्रुप–6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राजस्व–6 / 2003 / पार्ट / जयपुर दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में मौका निरीक्षण रिपोर्ट जिस पर तहसीलदार बानसूर, आई.एल.आर. बुटेरी, पटवारी हल्का लोयती के हस्ताक्षर हैं, तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तहसील बानसूर के चालू स्थाई रास्तों का राजस्व अभिलेखों में अंकन करवाने हेतु तहसील बानसूर के राजस्व ग्राम साथलपुर के आराजी खसरा नम्बर 621, 620, 618, 589, 586, 537, 536, 526, 533, 532, 530 / 640, 228, 231, 120, 54, 52, 51, 50, 48, 47, 46, 44, 43, 267, 269, 295, 294, 301, 268 में से मौके पर चालू स्थाई रास्ता–डामर / कच्चा रास्ता कदीमी / ग्रेवल सडक को राजस्व रिकार्ड में किस्म गै0मु0 रास्ता अंकित करावें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर ने तहसीलदार बानसूर के प्रस्ताव दिनांक 10.06.2021 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों में से जा रहे रास्ते को आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा, संबंधित पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम साथलपुर तहसील बानसूर के प्रस्तावित खसरों में से

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज किये जाने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2021 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.07.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर दिनांक 13.07.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहत अदालत के द्वारा बगैर अपीलाण्टान को सुने ही अपीलाण्ट की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 533, 536, 526 वाके ग्राम साथलपुर तहसील बानसूर व अन्य आराजी मे से गैरमुमकिन रास्ता कायम करने के आलौच्य आदेश दिनांक 13.07.2021 को पारित किये गये हैं। अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे खातेदार अपीलाण्टान को नोटिस जारी नही किया और ना ही अपीलाण्टान को सुना गया और बिना सुने व सुनवाई का अवसर दिये ही बाला बाला तरीके से निर्णय पारित किया गया है। तहत अदालत के द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 08.07.2021 में यह अंकित किया गया है कि मौका देखा गया, रास्ता मौके पर बारहमासी एवं चलन में है। अतः राजस्व विभाग के दिनांक 10.08.2016 के परिपत्र के अनुसार आदेश तैयार कर प्रस्तुत करे जिस पर संबंधित शाखा में आदेश तैयार कर पेश किया गया और दिनांक 13.07.2021 को तहत अदालत द्वारा आदेश पारित किये गये। पत्रावली में कोई भी रिपोर्ट तहत अदालत द्वारा स्वयं के द्वारा मौके देखे जाने बाबत मौजूद नही है। इस प्रकार बिना मौका देखे ही पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। तहसीलदार बानसूर के द्वारा मौका निरीक्षक रिपोर्ट दिनांक 10.06.2021 तैयार की गई है एवं दिनांक 03.06.2021 को पटवारी हल्का के द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस मौका पर्चा रिपोर्ट व मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अपीलाण्टान की उपरोक्त खसरा नम्बरान 533, 526,536 में से मौके पर रास्ता चालू होना बताया गया है जो कि गलत है आराजी खसरा नम्बर 526.533. 536 अपीलाण्टान की खातेदारी की आराजी है, जिस खसरा नम्बरान में से केवल 536 में से रास्ता जाता है और अपीलाण्टान की आराजी खसरा नम्बर 526 में से कोई रास्ता नही होकर उसके लगते हुये खसरा नम्बर 535 से जाता है, जो मौका निरीक्षण रिपोर्ट व मौका पर्चा रिपोर्ट बनाई गई है उसमें 526 में से कोई रास्ता नही दिखाया गया था, बल्कि रास्ता 535 मे दिखाया गया था लेकिन बाद मौका पर्चा रिपोर्ट व मौका निरीक्षण रिपोर्ट में खसरा नम्बर में कटिंग करते हुये खसरा नम्बर 535 को काटकर 526 अंकित किया गया है, जिस आधार पर उक्त खसरा नम्बर 526 मे रास्ता होना बताया जाकर तहत अदालत द्वारा गैरमुमकिन रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये गये हैं। आराजी खसरा नम्बर 526,533 536 अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी है एवं अपीलाण्ट आराजी खसरा नम्बर 536 में तो रास्ता जाता है लेकिन अपीलाण्ट की आराजी खसरा नम्बर 526 मे ना तो कोई रास्ता कायम है ओर ना ही मौके पर है बल्कि उसके लगते हुये खसरा नम्बर 535 में से रास्ता है । हल्का पटवारी व सरपंच एवं तहसीलदार द्वारा आपसी मिलीभगत करते हुये अपीलाण्टान को अधिक नुकसान पहुंचाने की नियत से व आपसी चुनावी रंजिश रखते हुये मौका पर्चा रिपोर्ट व निरीक्षण रिपोर्ट में खसरा नम्बर 535 को काटकर अपीलाण्टान की आराजी खसरा नम्बर 526 में अंकित कराकर रास्ता दिखाया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 526 मे रास्ता नही होने के आधार पर उक्त आदेश को निरस्त किये जाने के लिये उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की जा रही है। अपीलाण्ट की आराजी खसरा नम्बर 526 में ना तो कोई कच्चा कदीमी रास्ता रहा है और ना ही मौके पर कोई रास्ता है और ना ही नरेगा के तहत कोई कार्य किया जा रहा है इस प्रकार खसरा नम्बर 620 से 301 तक अपीलाण्ट की आराजी खसरा नम्बर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

526 में से होना बताया है जो गलत है। गलत मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 03.06.2021 के आधार पर तहसीलदार के द्वारा दिनांक 10.06.2021 को कदीमी रास्ता बताया जाकर राजस्व रिकोर्ड मे रास्ता दर्ज करने का प्रस्ताव पेश कर अनुशंषा की गई जो गलत की गई एवं तहत अदालत के द्वारा मौके की बगैर जॉच किये ही व बिना अपीलाण्ट को सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है। विवादित आराजी पर मौके पर रास्ता नही है किन्तु तहत अदालत के आदेश की आड मे विवादित आराजी खसरा नम्बर 526 मे रास्ता कायम किये जाने से अपीलाण्टान को भारी हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से नही हो सकेगी। अपीलाण्टान विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। मिन अपीलाण्टान को तहत अदालत के आदेश दिनाक 13.07.2021 की कोई जानकारी पूर्व में नहीं थी तथा दिनाक 07.11.2022 को तहसीलदार व हल्का पटवारी अपीलाधीन आराजी पर आकर रास्ता कायम करने का प्रयास किया तो मिन अपीलाण्टान द्वारा उनको ऐसा करने से रोका तो उनके द्वारा तहत अदालत के आदेश की जानकारी दी गई जिस पर मिन अपीलाण्ट द्वारा तहत अदालत के आदेश की नकल हेतु आवेदन किया गया जो नकल दिनांक 09.11.2022 को प्राप्त हुई जिस पर मिन अपीलाण्टान द्वारा अपने वकील साहब से कानूनी सलाह व मशवरा किया तो वकील साहब द्वारा तहत अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की सलाह दी गई जिस पर यह अपील पेश की गई है तथा मिन अपीलाण्टान को तहत अदालत के आदेश दिनांक 13.07.2021 की जानकारी दिनांक 07.11.2022 को प्राप्त होने पर नकल प्राप्त करने की दिनांक 09.11.2022 एवं उसके बाद कानूनी सलाह व मशवरा प्राप्त करने के दौरान अपील पेश करने में हुई देरी का समय कन्डोन किया जाना आवश्यक है। अतः अपील मिन अपीलाण्टान की ओर से पेश कर निवेदन है कि मिन अपीलाण्टान की अपील स्वीकार करते हुये तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 13.07.2021 को निरस्त किये जाने की कृपा करें। तहत अदालत के द्वारा अपीलान्ट की आराजी खसरा नं. 526, 533, 536 में रास्ता निकालने के आदेश दिये हैं। जो अपीलान्ट को बिना सुने ही पारित किये गये है। अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है। चूंकि उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति चाही गई है।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 अपील का विरोध करते हुये कथन किया गया कि तहसीलदार बानसूर जिला अलवर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत दिनांक 10.06.2021 के द्वारा राजस्व ग्रुप–6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राजस्व–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में मौका निरीक्षण रिपोर्ट तहसीलदार बानसूर, आई. एल.आर. बुटेरी, पटवारी हल्का लोयती ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तहसील बानसूर के चालू स्थाई रास्तों का राजस्व अभिलेखों में अंकन करवाने हेतु तहसील बानसूर के राजस्व ग्राम साथलपुर के आराजी खसरा नम्बर 621, 620, 618, 589, 586, 537, 536, 526, 533, 532, 530/640, 228, 231, 120, 54, 52, 51, 50, 48, 47, 46, 44, 43, 267, 269, 295, 294, 301, 268 में से मौके पर चालू स्थाई रास्ता–डामर/कच्चा रास्ता कदीमी/ग्रेवल सडक का प्रस्ताव तैयार कर राजस्व रिकार्ड में किस्म गै0मु0 रास्ता अंकित करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर ने तहसीलदार बानसूर के प्रस्ताव दिनांक 10.06.2021 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों में से जा रहे रास्ते को आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा, संबंधित पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम साथलपुर तहसील बानसूर के प्रस्तावित खसरों में से मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज किये जाने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2021 पारित किये गये हैं। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

आदेश दिनांक 13.07.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मददेनजर अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी के अभाव में उसे नकल दिनांक 09.11.2022 से प्राप्त होने एवं उसके बाद कानूनी सलाह व मशवरा प्राप्त करने के दौरान अपील पेश करने में हुई देरी का समय बताया गया है। अतः माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में इस प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलाधीन आराजी में तहत अदालत द्वारा रास्ता कायम करने के आदेश दिये गये है जो आराजी मिन अपीलान्टान की खातेदारी की आराजी है एवं अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि खसरा नम्बरान निरंतरता में है जबकि खसरा नम्बर 526 कटिंग कर बनाया गया प्रतीत होता है। कंटिग भी कई दस्तावेजात में की गई है जो सद्भावी प्रतीत नहीं होती है। यदि 526 में से रास्ता कायम किया भी जाता है तो खसरा नम्बर 535 से होकर ही रास्ता आगे खसरा नम्बर 533 में प्रवेश कर सकता है। खसरा नम्बर 535 को रास्ते हेतु जारी आदेश में नहीं दर्शाया गया है जिससे भी प्रतीत होता है कि खसरा नम्बर 535 को काटकर 526 किया गया है। नक्शा ट्रेस में रास्ते का कुछ हिस्सा खसरा नम्बर 535 में से भी दर्शाया गया है जबकि उपखण्ड अधिकारी के आदेश तथा अन्य संलग्न दस्तावेजात में खसरा नम्बर 535 का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। जिससे जाहिर होता है कि खसरा नम्बर 535 को काटकर खसरा नम्बर 526 किया गया है। उपरोक्त के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर का निर्णय दुषित एवं त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतः उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर का निर्णय दिनांक 13.07.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी की भूमिका की जांच कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 13.07.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण में अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी की भूमिका की जांच कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर